

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ

उत्तर रेलवे

नोटिस सं. आरसीसी/एनआर/02/2018/अध्येता अधिनियम

वेबसाइट :www.rrcnr.org

उत्तर रेलवे में अध्येता अधिनियम, 1961 के तहत 1092 अध्येताओं (shortfall 2017-18) की सेवाएं लेना।

अध्येता अधिनियम 1961 के तहत उत्तरी रेलवे के विभिन्न प्रभागों/ इकाइयों / कार्यशालाओं पर प्रशिक्षण देने के लिए अध्येताओं की सेवाएं लेने के लिए पात्र और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रेलवे में प्रशिक्षण पाने से प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद, अभ्यर्थी को रेलवे में अवशोषण का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। नियोक्ता के लिए अपने प्रतिष्ठान में अपनी प्रशिक्षु प्रशिक्षण की अवधि के पूरा होने पर अध्येता को कोई रोजगार प्रदान करने की बाध्यता नहीं होगी। अध्येता इसके लिए बाध्य नहीं होगा कि वह नियोक्ता के तहत रोजगार स्वीकार करे।

महत्वपूर्ण तारीखें	
ऑनलाइन आवेदन खोले जाने की तारीख और समय	31-12-2018 को 1200 बजे
ऑनलाइन आवेदन बंद किए जाने की तारीख और समय	31-01-2019 को 1200 बजे
मेरिट प्रदर्शित करने की अपेक्षित तारीख	15-02-2019 से 15-03-2019 के बीच

1.0 ट्रेड का विवरण: – उम्मीदवार को परामर्श दिया जाता है कि वे नीचे दिए गए उपलब्ध प्रशिक्षण स्लॉट और अपने आईटीआई ट्रेड सावधानी से देखें और तदनुसार, क्लस्टर और यूनिट्स का चयन करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उम्मीदवार ऐसे क्लस्टर या यूनिट का चयन करें, जहां आपके आईटीआई ट्रेड के लिए कोई प्रशिक्षण स्लॉट अपेक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में, उनका आवेदन अंततः अर्थहीन हो सकता है, क्योंकि अंतिम तौर पर जमा किए जाने के बाद उसे कोई भी बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, उसे बाद में या एकाधिक आवेदन-पत्र करने की भी अनुमति नहीं होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में सभी आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

प्रशिक्षण स्लॉटों का यूनिट-वार/ट्रेड-वार विवरण												
क्लस्टर लखनऊ (एलकेओ)												
		ट्रेड	अ ना.	अनु. जा ति	अ नु. ज जा ति	अ. पि. वर्ग	शारीरिक विकलांग			पूर्व - एस एम	कुल स्लॉ ट	पात्र शर्त के तौर पर अपेक्षित आईटीआई उत्तीर्ण ट्रेड
							एच एच	ओ एच	वीए च			
लखनऊ प्रभाग	1	मैकेनिक / डीएसएल	17	22	01	28	01	02	0	03	68	मैकेनिक / डीएसएल
	2	इलेक्ट्रिशियन	01	03	0	01	0	01	0	0	05	इलेक्ट्रिशियन
	3	फिटर	02	19	01	05	0	03	02	05	27	फिटर

	4	बढ़ई	02	01	0	02	0	0	0	0	05	बढ़ई
		कुल	22	45	02	36	01	06	02	08	105	
सेतू कार्यशाला, सीबी-एलकेओ	1	फिटर	01	0	0	01	0	0	0	01	02	फिटर
	2	मैकेनिक मोटर वाहन	0	01	0	0	0	0	0	0	01	मैकेनिक मोटर वाहन
	3	फोर्जर एंड हीट ट्रीटर	03	0	0	0	0	0	0	0	03	फोर्जर एंड हीट ट्रीटर
	4	वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक	01	01	0	01	0	0	0	0	03	वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक
	5	पेंटर सामान्य	0	0	0	01	0	0	0	0	01	पेंटर सामान्य
	6	टर्नर	01	0	0	0	0	0	0	0	01	टर्नर
	7	सामग्री हैंडलिंग उपकरण मेकेनिक- सह- ऑपरेटर	04	01	0	01	0	0	0	0	06	सामग्री हैंडलिंग उपकरण मेकेनिक-सह- ऑपरेटर
		कुल	10	03	0	04	0	0	0	01	17	
सीएण्डडब्ल्यू शॉप एएमवी-एलकेओ	1	बढ़ई	04	16	01	18	01	02	01	04	39	बढ़ई
	2	फिटर	01	10	01	09	0	01	02	04	21	फिटर
	3	पेंटर सामान्य	07	08	0	12	0	02	0	0	27	पेंटर सामान्य
	4	मैकेनिक मशीन टूल रखरखाव	09	02	0	03	0	0	0	0	14	मैकेनिक मशीन टूल रखरखाव
	5	वेल्डर	07	12	0	15	0	0	0	02	34	वेल्डर
		कुल	28	48	02	57	01	05	03	10	135	
लोकोमोटिव कार्यशाला - सीबी/एलकेओ	1	फिटर	05	16	0	18	0	04	02	04	39	फिटर
	2	मशीनिस्ट	0	02	0	0	0	0	0	01	02	मशीनिस्ट
	3	वेल्डर (गैस व इले.)	06	03	0	03	0	0	0	0	12	वेल्डर (गैस व इले.)
	4	इलेक्ट्रिशिय न	03	05	0	06	0	01	0	01	14	इलेक्ट्रिशियन
		कुल	14	26	0	27	0	05	02	06	67	
लोकोमोटिव कार्यशाला (इले.) - सीबी/एलकेओ	1	इलेक्ट्रिशिय न	01	06	0	04	0	01	01	01	11	इलेक्ट्रिशियन
	2	रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कंडीशनर	06	15	01	22	01	0	01	03	44	रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कंडीशनर
	3	वायरमैन	06	04	0	06	0	01	0	0	16	वायरमैन
		कुल	13	25	01	32	01	02	02	04	71	

क्लस्टर दिल्ली (डीएलआई)

	ट्रेड	अ ना.	अनु. जा ति	अ नु. ज जा ति	अ. पि. वर्ग	शारीरिक विकलांग			पूर्व - एस एम	कुल स्लॉट	पात्र शर्त के तौर पर अपेक्षित आईटीआई उत्तीर्ण ट्रेड	
						एच एच	ओ एच	वीए च				
सेतू कार्यशाला, टीकेजी, एनडीएलएस	1	फिटर	0	01	0	01	0	01	0	01	02	फिटर
	2	वेल्डर	03	01	01	04	0	0	0	0	09	वेल्डर
	3	पेंटर सामान्य	02	01	0	02	0	0	0	0	05	पेंटर सामान्य
	4	बढ़ई	0	0	0	02	0	0	0	0	02	बढ़ई
	5	कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक	04	01	0	01	0	0	0	0	06	कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक
	कुल	09	04	01	10	0	01	0	01	24		
टीएमसी डिपो/ टीकेडी	1	मैकेनिक मशीन टूल रखरखाव	04	0	0	01	0	0	0	0	05	मैकेनिक मशीन टूल रखरखाव
	2	फिटर	01	0	0	0	0	0	0	0	01	फिटर
	3	कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक	01	0	0	0	0	0	0	0	01	कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक
	कुल	06	0	0	01	0	0	0	0	07		
मुद्रण प्रैस- एसएसबी	1	ऑफसेट मशीन माइंडर	03	03	02	05	0	01	0	01	13	लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर
	2	जिल्दसाज	20	06	03	10	0	01	0	01	39	संबंधित ट्रेड में आईटीआई
	कुल	23	09	05	15	0	02	0	02	52		
सीएण्डडब्ल्यू/एन जेडएम-दिल्ली प्रभाग	1	फिटर	01	08	03	12	0	02	0	02	24	फिटर
	2	बढ़ई	01	01	0	01	0	0	0	0	03	बढ़ई
	3	पेंटर सामान्य	02	0	0	0	0	0	0	0	02	पेंटर सामान्य
	4	वेल्डर (गैस व इले.)	03	0	0	0	0	0	0	0	03	वेल्डर (गैस व इले.)
	कुल	07	09	03	13	0	02	0	02	32		
सीएण्डडब्ल्यू/डीईई - दिल्ली प्रभाग	1	फिटर	01	01	02	01	0	01	0	01	05	फिटर
	2	बढ़ई	0	0	0	01	0	0	0	0	01	बढ़ई

		कुल	01	01	02	02	0	01	0	01	06	
सीएण्डडब्ल्यू/एन डीएलएस	1	फिटर	0	15	06	17	01	02	01	04	38	फिटर
	2	बढ़ई	05	01	0	02	0	0	0	0	08	बढ़ई
	3	पेंटर सामान्य	02	0	0	0	0	0	0	0	02	पेंटर सामान्य
	4	वेल्डर (गैस व इले.)	02	0	0	01	0	0	0	0	03	वेल्डर (गैस व इले.)
		कुल	09	16	06	20	01	02	01	04	51	
सीएण्डडब्ल्यू शॉप/ दिल्ली	1	फिटर	01	09	04	16	01	01	0	02	30	फिटर
	2	बढ़ई	02	01	0	02	0	0	0	0	05	बढ़ई
	3	पेंटर सामान्य	02	0	0	0	0	0	0	0	02	पेंटर सामान्य
	4	वेल्डर (गैस व इले.)	03	0	0	01	0	0	0	0	04	वेल्डर (गैस व इले.)
		कुल	08	10	04	19	01	01	0	02	41	
इलेक्ट्रिक लोकोशेड/गाजिया बाद (दिल्ली प्रभाग)	1	फिटर	03	15	07	24	01	01	01	01	49	फिटर
	2	मैकेनिक मशीन टूल रखरखाव	02	0	0	01	0	0	0	0	03	मैकेनिक मशीन टूल रखरखाव
	3	पेंटर सामान्य	02	0	0	0	0	0	0	0	02	पेंटर सामान्य
	4	वेल्डर (गैस व इले.)	03	0	0	0	0	0	0	0	03	वेल्डर (गैस व इले.)
		कुल	10	15	07	25	01	01	01	01	57	
ईएमयू कारशेड / गाजियाबाद (दिल्ली प्रभाग)	1	इलेक्ट्रिशिय न	15	15	07	26	01	02	0	03	63	इलेक्ट्रिशियन
	2	मशीनिस्ट	02	0	0	0	0	0	0	0	02	मशीनिस्ट
	3	पेंटर सामान्य	04	0	0	01	0	0	0	0	05	पेंटर सामान्य
	4	वेल्डर (गैस व इले.)	03	0	0	0	0	0	0	0	03	वेल्डर (गैस व इले.)
		कुल	24	15	07	27	01	02	0	03	73	
डीएसएल शेड/ टीकेडी (दिल्ली प्रभाग)	1	मैकेनिक/डीए सएल	20	11	05	16	0	01	0	02	52	मैकेनिक/डीएस एल
	2	इलेक्ट्रिशिय न	01	06	02	10	0	01	0	01	19	इलेक्ट्रिशियन
		कुल	21	17	07	26	0	02	0	03	71	
डीएसएल शेड/ एसएसबी (दिल्ली प्रभाग)	1	मैकेनिक/डीए सएल	01	06	03	11	0	01	0	01	21	मैकेनिक/डीएस एल
	2	इलेक्ट्रिशिय न	01	01	01	03	0	0	0	0	06	इलेक्ट्रिशियन
		कुल	02	07	04	14	0	01	0	01	27	

क्लस्टर फिरोजपुर (एफजेडआर)

	ट्रेड	अ ना.	अनु. जा ति	अ नु. ज जा ति	अ. पि. वर्ग	शारीरिक विकलांग			पूर्व - एस एम	कुल स्लॉट	पात्र शर्त के तौर पर अपेक्षित आईटीआई उत्तीर्ण ट्रेड	
						एच एच	ओ एच	वीए च				
सेतू कार्यशाला – जेआरसी	1	फिटर	02	01	0	0	0	01	0	01	03	फिटर
	2	मशीनिस्ट	0	01	0	01	0	0	0	0	02	मशीनिस्ट
	3	फोर्जर एण्ड हीट ट्रीटर	02	0	0	0	0	0	0	0	02	फोर्जर एण्ड हीट ट्रीटर
	4	पेंटर सामान्य	02	0	0	0	0	0	0	0	02	पेंटर सामान्य
	5	मैकेनिक मोटर वाहन	02	01	0	01	0	0	0	0	04	मैकेनिक मोटर वाहन
	6	वेल्डर (गैस व इले.)/वेल्डर संरचनागत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	वेल्डर (गैस व इले.)/वेल्डर संरचनागत
	7	मिस्त्री (भवन निर्माण)	02	0	0	0	0	0	0	0	02	मिस्त्री (भवन निर्माण)
	8	मैकेनिक मशीन टूल रखरखाव	0	0	0	01	0	0	0	0	01	मैकेनिक मशीन टूल रखरखाव
	कुल	10	03	0	03	0	01	0	01	16		
डीएमयू केयर बेस, जेयूसी (फिरोजपुर प्रभाग)	1	इलेक्ट्रिशियन	0	0	0	01	0	0	0	0	01	इलेक्ट्रिशियन
	2	मैकेनिक/डीएसएल	01	05	0	07	0	01	0	01	13	मैकेनिक/डीएसएल
	3	टर्नर	01	0	0	0	0	0	0	0	01	टर्नर
	कुल	02	05	0	08	0	01	0	01	15		
सीएण्डडब्ल्यू कार्यशाला, फिरोजपुर प्रभाग	1	फिटर	02	12	0	09	0	01	01	02	23	फिटर
	2	बढ़ई	01	01	0	0	0	0	0	0	02	बढ़ई
	कुल	03	13	0	09	0	01	01	02	25		
डीएसएल शेड-एलडीएच, (फिरोजपुर प्रभाग)	1	इलेक्ट्रिशियन	0	0	0	03	01	0	0	01	03	इलेक्ट्रिशियन
	2	मैकेनिकल/डीएसएल	02	21	0	18	02	01	01	0	41	मैकेनिकल/डीएसएल
	3	टर्नर	0	01	0	01	0	0	0	0	02	टर्नर
	4	मैकेनिक	0	01	0	01	0	0	0	0	02	मैकेनिक मोटर

		मोटर वाहन										वाहन
		कुल	02	23	0	23	03	01	01	01	48	
कार्यशाला (यांत्रिक.) - एसआर	1	पेंटर सामान्य	04	01	0	01	0	0	0	0	06	पेंटर सामान्य
	2	इलेक्ट्रिशियन	0	0	0	01	0	01	0	01	01	इलेक्ट्रिशियन
	3	वेल्डर (गैस व इले.)	0	05	0	05	0	01	0	01	10	वेल्डर (गैस व इले.)
	4	फिटर	01	04	0	04	0	01	0	01	09	फिटर
	5	मशीनिस्ट	0	06	0	09	0	01	0	01	15	मशीनिस्ट
	6	मैकेनिक मशीन टूल रखरखाव	02	04	0	05	0	01	0	01	11	मैकेनिक मशीन टूल रखरखाव
		कुल	07	20	0	25	0	05	0	05	52	
क्लस्टर अंबाला (यूपमबी)												
		ट्रेड	अना	अनु . जा ति	अ नु. ज जा ति	अ. पि. वर्ग	शारीरिक विकलांग			पूर्व - एस एम	कुल स्लॉट	पात्र शर्त के तौर पर अपेक्षित आईटीआई उत्तीर्ण ट्रेड
							एच एच	ओ एच	वीए च			
जेयूडीडब्ल्यू कार्यशाला	1	फिटर	02	06	0	10	0	02	0	02	18	फिटर
	2	वेल्डर	0	06	0	14	0	02	0	02	20	वेल्डर
	3	बढ़ई	04	10	0	09	01	01	0	02	23	बढ़ई
	4	पेंटर सामान्य	02	07	0	04	0	0	0	02	13	पेंटर सामान्य
	5	मशीनिस्ट	0	03	0	05	0	01	0	01	08	मशीनिस्ट
	6	वायरमैन	0	03	0	04	0	0	0	01	07	वायरमैन
	7	इलेक्ट्रिशियन	01	01	0	03	01	0	0	01	05	इलेक्ट्रिशियन
	8	रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कंडीशनर	0	03	0	03	0	01	0	0	06	रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कंडीशनर
		कुल	09	39	0	52	02	07	0	11	100	
कुल जोड			240	353	51	448	12	49	13	70	1092	

नोट: -

- (1) इस अधिसूचना में दर्शाए गए प्रशिक्षण स्लॉट्स की संख्या अनंतिम है और चयन को अंतिम रूप देते समय प्रशासन की वास्तविक जरूरतों के आधार पर इनमें वृद्धि या कमी की जा सकती है और इसमें पीडब्ल्यूडी और पूर्व एसएम स्लॉट्स शामिल है।

(II) जब अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति निर्धारित संख्या में उपलब्ध न हों, तो उनके लिए आरक्षित प्रशिक्षण स्थानों को अनुसूचित जनजातिय या अनुसूचित जाति, जैसा मामला हो, के लोगों से भरा जा सकता है और यदि अगर निर्धारित प्रशिक्षण स्थानों को ऊपर दिए गए तरीके से भी नहीं भरा जाता, तो इस प्रकार खाली प्रशिक्षण स्थानों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से इतर व्यक्तियों से भरा जा सकता है। इसी तरह, अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा रिक्त पदों को अनारक्षित श्रेणी से भरा जाना चाहिए।

उनके लिए प्रदान किए गए आरक्षण के तहत चयनित एक पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को उपयुक्त श्रेणी अर्थात अनारक्षित/अनु.जाति/ अनु. जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग में रखा जाए और उनके बच्चों और सशस्त्र सेना कर्मियों के बच्चों को शिक्षता के लिए शामिल किया जाएगा जैसा नीचे विवरण दिया गया है:

(क) शांति के समय मारे गए / विकलांग लोगों सहित मृतक/विकलांग पूर्व सैनिकों की संतान।

(ख) पूर्व-सैनिकों की संतान

(ग) सेवारत जवानों की संतान।

(घ) सेवारत अधिकारी की संतान

(ङ) पूर्व सैनिक

(IV) विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को, जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, सक्षम प्राधिकारी अर्थात विकलांगता का मूल्यांकन करने के लिए विशेष क्षेत्र में एक विशेषज्ञ सहित केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी एक विकलांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। विकलांग व्यक्तियों पर प्रशिक्षण के लिए तभी विचार किया जाएगा यदि उसकी विकलांगता अधिसूचित ट्रेड के लिए उपयुक्त है और उसने रेलवे में लागू अधिनियम, अध्येता नियमावली के अनुसार आवेदन किया है यहां क्लिक करें। तदनुसार, अभ्यर्थियों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे नियमों के तहत अपनी विकलांगता और कथित विकलांगता के ट्रेड की पहचान के संदर्भ में अपनी अभ्यर्थिता सुनिश्चित कर लें।

2.0 अनिवार्य अर्हता: - (अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि के अनुसार)

उम्मीदवार ने मान्यताप्राप्त बोर्ड से कुल न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा (10+ 2 परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत) उत्तीर्ण की हो और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित ट्रेड में आईटीआई उत्तीर्ण हो।

3.0 आयु सीमा: (31/01/2019 की स्थिति के अनुसार)

3.1 अभ्यर्थियों की आयु 31-01-2019 को कम से कम 15 वर्ष और 24 वर्ष से कम होनी चाहिए।

3.2 ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में 05 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 3 वर्ष तक की छूट है।

3.4 विकलांग व्यक्तियों के लिए, अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष तक की छूट है। पूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में रक्षा बलों में दी गई सेवा की सीमा में अतिरिक्त 10 वर्ष और 3 वर्ष की छूट दी जा सकती है बशर्ते उन्होंने एक अवधि में न्यूनतम 6 माह का सेवाकाल पूरा किया हो, सिवाय उन पूर्व सैनिकों के जिन्होंने उन्हें सेवा में लेने के प्रयोजनार्थ सैनिक की स्थिति का लाभ लेने के लिए सिविल में सरकारी सेवा में कार्यभार पहले से ही ग्रहण कर लिया है। हालांकि, पूर्व सैनिकों के मामले में पूर्व-सैनिकों के कोटे पर विचार

तभी किया जाएगा यदि उपलब्ध हो। यदि अनारक्षित रिक्तियां उपलब्ध नहीं हैं तो पूर्व-सैनिक कोटे से केवल उन विशेष समुदायों के पूर्व सैनिकों पर विचार किया जाएगा, जहां रिक्तियां उपलब्ध हैं।

- 3.5 जो अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी जो अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार प्रारूप पर 1/4/2018 या उसके बाद जारी जाति प्रमाण पत्र या गैर-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 3.6 जो अभ्यर्थी पूर्व सैनिकों और सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें निर्वहन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और पूर्व सैनिकों और सशस्त्र बलों के कार्मिकों के की संतान के मामले में, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय क्रमशः डिस्चार्ज प्रमाणपत्र अथवा सशस्त्र बल सेवारत प्रमाण पत्र (जैसा मामला हो) देना होगा।
- 3.7 जो अभ्यर्थी शारीरिक विकलांग/ पीडब्ल्यूडी के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें नियमों के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया विकलांग/ पीडब्ल्यूडी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

4.0 आवेदन शुल्क (गैर-प्रत्यर्पणीय) रु. 100 / -:

4.1 आवेदन शुल्क का भुगतान **ऑनलाइन मोड** के जरिए किया जाता है और आरआरसी नकद/ चेक/ मनी ऑर्डर/आईपीओ/ डिमांड ड्राफ्ट केंद्रीय भर्ती शुल्क स्टॉप आदि आदि में आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं करेगा। उम्मीदवार ध्यान दें कि आरआरसी/उत्तर रेलवे, अपूर्ण या लंबित ऑनलाइन शुल्क संव्यवहार के लिए उत्तरदायी नहीं है, चाहे इसका कारण कुछ भी हो। ऐसे मामले में, अभ्यर्थी को परीक्षा शुल्क के भुगतान का नया/दोबारा संव्यवहार करते हुए आगे बढ़ना होगा।

4.2 अनु. जाति/ अनु. जनजाति/ शारीरिक विकलांग/ महिला अभ्यर्थियों को कोई शुल्क अदा नहीं करना होगा।

5.0 चयन का तरीका:- अभ्यर्थियों को सेवाओं पर लेने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी: -

5.1 आवेदन पत्र की जांच और संवीक्षा

5.2 अध्येताओं का चयन, अभ्यर्थियों द्वारा मैट्रिकुलेशन (न्यूनतम 50% कुल अंक) और आईटीआई परीक्षा, दोनों में प्राप्त प्रतिशत अंकों का औसत लेकर, जिनमें दोनों को बराबर भार दिया जाता है, तैयार की गई मेरिट के आधार पर किया जाता है। यदि दो उभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त होते हैं, अधिक आयु वाले उभ्यर्थीको प्राथमिकता दी जाएगी। यदि जन्म तिथि भी समान है, तब उस अभ्यर्थी पर पहले विचार किया जाएगा जिसने मैट्रिक परीक्षा पहले उत्तीर्ण की हो। .

उन बोर्डों से अभ्यर्थियों के एसएससी के अंकों के प्रतिशत की गणना के प्रयोजनार्थ, जहां ग्रेडिंग प्रणाली लागू है, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त ग्रेडों की रैंज का मध्य बिंदु लेगा। दिए गए ग्रेडों के अनुसार सभी हल किए गए विषयों के मध्य बिंदु लेने के बाद, औसत की गणना प्रत्येक विषय के लिए 100 अंक मानते हुए की जाएगी, क्योंकि इन बोर्डों के लिए मैट्रिक के लिए औसत की गणना के लिए कोई मानक विधि या गुणन कारक नहीं है। प्रमाण पत्र के मामले में जहां अंक प्राप्त किए गए हैं और कुल अंकों से गणना नहीं की गई है, उस स्थिति में प्रमाण पत्र पर उल्लिखित सभी विषयों में प्राप्त अंकों को योग्यता तय करने के लिए विचार में लिया जाएगा।

5.3 अंतिम मेरिट सूची पैरा 5.2 में ऊपर वर्णित अनुसार 10 वीं कक्षा और आईटीआई में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के घटते क्रम में स्लॉटों की संख्या के बराबर, समूहन, ट्रेड-वार और समुदाय-वार तैयार की जाएगी।

6.0 शारीरिक फिटनेस:

कोई भी व्यक्ति, समय-समय पर यथा: संशोधित प्रशिक्षु अधिनियम 1961 और शिक्षुता नियम 1992 के तहत प्रशिक्षण का पात्र होगा/होगी यदि वह पूर्वोक्त अधिनियम और संबंधित ट्रेडों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विनिर्धारित मानकों में विनिर्धारित शारीरिक फिटनेस के न्यूनतम मानकों को पूरा करता/करती है जो एक रेलवे डॉक्टर द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे।

7.0 प्रशिक्षण और वजीफे की अवधि- लागू नियमों के अनुसार ।

8.0 प्रशिक्षण समझौता

निर्दिष्ट ट्रेड में शिक्षुता प्रशिक्षण शुरू किए जाने से पूर्व, चयनित अभ्यर्थी को प्रशिक्षु प्रशिक्षण अनुबंध करना होगा। यदि चयनित उम्मीदवार नाबालिग है, तो उसके संरक्षक को नियोक्ता के साथ शिक्षुता अनुबंध करना होगा।

9.0 सामान्य अनुदेश

- (i) अधिसूचित स्लॉट प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार वृद्धि और कमी को बदलने के लिए विषय हैं
- (ii) केवल आरआरसी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण/ आवेदन भरने से अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं हो जाता।
- (iii) रेलवे प्रशासन के पास पात्र अभ्यर्थियों को सेवाओं पर लेने का अधिकार सुरक्षित है।
- (iv) पात्रता, स्थान, तिथि, चयन, पद की स्वीकृति या अस्वीकृति, सिफारिश, तैनाती स्थान, ग्रेड आदि से संबंधित सभी मामलों पर उत्तर रेलवे प्रशासन का निर्णय अंतिम और अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा।
- (v) यदि कोई तथ्य छिपाया जाता है, जिससे उपरोक्त निर्धारित शर्तों का उल्लंघन होता है, तो अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता, भर्ती के किसी भी चरण पर खारिज की जा सकती है। रेलवे प्रशासन का निर्णय अंतिम और अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा।
- (vi) चयन प्रक्रिया में उपस्थित होने के लिए कोई यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता/ आवास नहीं दिया जाएगा। रेलवे प्रशासन के पास अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण कोई भी तारीख तय करने, जो उचित समझे, स्थान परिवर्तन करने या परीक्षा/ प्रवीणता परीक्षा स्थगित करने (अपनी सुविधा से), या इसे रद्द करने तक का अधिकार सुरक्षित है जिसके खिलाफ कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तिथि और स्थल के परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (vii) अभ्यर्थियों को आरआरसी वेबसाइट से डाउनलोड किए जाने वाले ई-प्रवेश कार्ड पर दिए गए स्थान और समय पर दस्तावेज सत्यापन के दिन, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए गए सभी दस्तावेज, इनकी एक **स्व-सत्यापित** फोटो प्रतियों सहित (मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र, अंक तालिका, अंक तालिका सहित आईटीआई / NCVT or SCVT प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाणपत्र आदि) लाना चाहिए जिसके बिना अभ्यर्थिता मंसूख कर दी जाएगी। अंग्रेजी या हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में प्रमाणपत्र के साथ स्व-अनुप्रमाणित अंग्रेजी/ हिंदी अनुवाद होना चाहिए।
- (viii) यदि रेलवे प्रशासन द्वारा यह देखा जाता है कि अभ्यर्थी ने गलत सूचना/जाली प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए

हैं, रेलवे प्रशासन के पास किसी भी चरण पर, जारी प्रशिक्षण पर चयन किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी/ चयनित अभ्यर्थी को बिना किसी सूचना के कार्यभार मुक्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

- (ix) भर्ती के सभी चरणों में उम्मीदवार का प्रवेश, निर्धारित पात्रता शर्त पूरा करने के अध्यक्षीन विशुद्ध रूप से अनंतिम होगा।
- (x) किसी भी अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर प्रतिरूपण करने या किसी प्रतिरूपक की मदद लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी पर सभी आरआरबी/ आरआरसी परीक्षाओं में भाग लेने या रेलवे में किसी भी नियुक्ति जीवनपर्यंत रोक लगा दी जाएगी। इसके अलावा, अभ्यर्थी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
- (xi) किसी अभ्यर्थी द्वारा चयन ट्रायल में भाग लेने के लिए शुल्क में छूट सहित पात्रता हासिल करने और/ अथवा विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए, तथ्यों की किसी भी वास्तविक तौर पर छिपाने या जाली प्रमाणपत्र/ जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उस विशेष भर्ती के लिए उसकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया है। इसके अलावा, उस पर देश भर में सभी आरआरबी/ आरआरसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं से बहिष्कृत कर दिया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
- (xii) जिन अभ्यर्थियों को इस रोजगार नोटिस के जवाब में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर सभी आरआरबी/ आरआरसी परीक्षाओं पर रोक लगाई गई है अथवा जिन अभ्यर्थियों पर विशिष्ट अवधि के लिए रोक लगाई गई है। भर्ती के किसी चरण के दौरान उनकी अभ्यर्थिता, जैसे और जब भी पता चलता है, खारिज कर दी जाएगी।
- (xiii) मौजूदा नियमों के अनुसार नोटिस की शर्तों और शर्तों में किसी भी बाद के बदलाव अच्छे लगे होंगे। आरआरसी इस नोटिस के तहत और जब लागू हो, भर्ती के लिए नियम और शर्तों में किसी भी बाद के परिवर्तन / संशोधन / अतिरिक्त / रद्दीकरण पर विचार / शामिल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- (xiv) आरआरसी के पास भर्ती की प्रक्रिया के किसी भी चरण पर आवेदक की उम्मीदवारी रद्द करने का अधिकार है, यदि आवेदन में कोई भी अनियमितता / कमी पायी जाती है।
- (xv) किसी भी कानूनी विवाद के लिए, न्यायक्षेत्र नई दिल्ली में ही होगा।
- (xvi) किसी निर्वचन या किसी भी गलती के बारे में किसी भी विवाद की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।
- (xvii) किसी भी रूप में सिफारिश, दुर्यवहार या कदाचार से अभ्यर्थिता पूरी तरह रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (xviii) **अभ्यर्थी नोट करें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ-साथ, अनु. जाति/ अनु. जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग/ पूर्व सैनिक आदि के साथ शिक्षा के सभी संबंधित प्रमाणपत्र अर्थात् अंक तालिका सहित 10वीं और आईटीआई/NCVT or SCVT अपलोड किए जाएंगे।** आरआरसी/ एनआर को मूल प्रमाण पत्र भेजना आवश्यक नहीं है और दस्तावेज सत्यापन के समय यह अपेक्षित हैं जिसमें विफल रहने पर आवेदक को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- (xix) अभ्यर्थी के डिवीजन / यूनिट को बदलने के किसी भी अनुरोध पर भी स्तर पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (xx) रेलवे प्रशासन, चयनित न किए गए या आमंत्रित न किए गए उम्मीदवारों को जवाब भेजने का कोई उत्तरदायित्व नहीं लेता। प्रस्तुत किए गए आवेदन के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा या किसी भी व्यक्ति या संगठन को इस कार्यालय द्वारा उत्तर नहीं दिया जाएगा।
- (xxi) कोई हॉस्टल आवास प्रदान नहीं किया जाएगा और चयनित अभ्यर्थियों प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अनुसार अपने प्रशिक्षण के दौरान अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी होगी और प्रशिक्षण पूरा होने पर उनको रिलीज किया जाएगा।

10.0 अमान्य आवेदन: – अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र और दस्तावेजों में पाई गई निम्न कमियों/ विसंगतियों के कारण आवेदन अमान्य/ अस्वीकृत किया जा सकता है:-

- (i) अपूर्ण आवेदन पत्र।
- (ii) चयन प्रक्रिया के दौरान बिना फोटो आवेदन, बायें हाथ के अंगूठे के निशान, अहस्ताक्षरित आवेदन/अहस्ताक्षरित आवेदन/ विभिन्न स्थानों पर बड़े अक्षरों में या अलग- अलग हस्ताक्षर किए गए हों।
- (iii) बिना परीक्षा शुल्क या कम शुल्क के साथ आवेदन किया गया हो।
- (iv) जन्म तिथि, 10वीं उत्तीर्ण अंक तालिका, आईटीआई/NCVT or SCVT प्रमाणपत्र और अंक तालिका आदि के बिना आवेदन किया गया हो।
- (v) अधिक या कम उम्र।
- (vi) अपेक्षित प्रमाणपत्रों की स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी अपलोड न की गई हों।
- (vii) आवेदन करते समय अपेक्षित शैक्षिक योग्यता और आईटीआई/NCVT or SCVT अर्हता न हो।
- (viii) अंग्रेजी या हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा भरे गए आवेदन।
- (ix) कोई भी अन्य अनियमितता, जो आरआरसी द्वारा अमान्य मानी जाए।

11.0 विविध:-

- (i) रेलवे प्रशासन विज्ञापन में अनजाने से किसी त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। (चयन के दौरान विभिन्न सूचनाओं के लिए अभ्यर्थियों के साथ संपर्क का प्रमुख और मुख्य स्रोत आरआरसी की वेबसाइट होगी।)
- (ii) पात्रता, आवेदन-पत्र की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति संबंधी सभी मामलों में रेलवे प्रशासन का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (iii) यह नोटिस, आरआरसी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। किसी भी अस्पष्टता/ विवाद के मामले में, दोनों संस्करणों में से अंग्रेजी संस्करण लागू होगा।
- (v) यदि किसी आवेदक को अपना आवेदन-पत्र ऑनलाइन दर्ज करने में कठिनाई होती है, तो सभी कार्य दिवसों पर आरआरसी की वेबसाइट पर उपलब्ध हेल्प लाइन नंबरों से 0930 बजे से 1800 बजे तक संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं

12.0 आवेदन किस प्रकार भरें : ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अपनाए लाने वाले चरण।

“कार्य शिक्षु ऑनलाइन/ ई- रजिस्ट्रेशन/फिलिंग एप्लीकेशन” पर क्लिक करें।

“एंगेजमेंट ऑफ एप्रेन्टाईस” लिंक ऑनलाइन पर क्लिक करें।



अभ्यर्थी के लिए सूचना



उम्मीदवार पंजीकरण – विवरण अर्थात नाम, समुदाय, श्रेणी, मोबाईल नं., ई मेल आईडी और जन्म तिथि भरें और जमा करें। सफल पंजीकरण पर, उम्मीदवार को ईमेल आईडी का उपयोग करते हुए बाद में लॉग इन हेतु पासवर्ड मिलेगा।



ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें और सफल संव्यवहार पर, **“अभ्यर्थी डैशबोर्ड जिसमें आवेदन पत्र, अपलोड फोटो/ हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान और आवेदन का ब्यौरा/ प्रिंट आएगा”**.



परीक्षा शुल्क भुगतान संव्यवहार आईडी प्रविष्ट करें, इसका सत्यापन करें और आवेदन पत्र भरें।



विवरण सेव करें, यदि अपेक्षित हो परिवर्तित करें और तदोपरांत सेव किए गए अंतिम विवरण सेव करें।



अभ्यर्थी डैशबोर्ड जिसमें आवेदन पत्र, अपलोड फोटो/ हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान और आवेदन का ब्यौरा/ प्रिंट हो, पुनः दिखाई देगा।



अब "अभ्यर्थी डैशबोर्ड" में अपलोड फोटो लिंक पर क्लिक करें और जेपीजी फॉर्मेट में 10 से 50 केबी आकार वाले फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान अपलोड करें एवं इमेजों को सेव करें एवं जाति, पीडब्ल्यूडी, पूर्व-सैनिक आदि जैसे प्रमाणपत्र भी अपलोड करें। इसके समापन पर अभ्यर्थी केवल रिकॉर्ड के लिए आवेदन और अभ्यर्थिता प्रयोजन के लिए शुल्क के भुगतान की पर्ची का प्रिंट ले सकते हैं।

12.2 ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किए जाने वाले संलग्नक: -

अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज / प्रमाणपत्र अपलोड करने होंगे जिन्हें अपलोड न किए जाने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

- क. जन्म तिथि का प्रमाणपत्र (10 वीं या मैट्रिक उत्तीर्ण का प्रमाणपत्र)
- ख. अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अर्हता अंकतालिका सहित 10वीं उत्तीर्ण और अंकतालिका सहित आईटीआई प्रमाणपत्र, जैसा ट्रेड के लिए निर्धारित हो।
 - a.
- ग. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / पीडब्ल्यूडी/ पूर्व-सैनिक आदि के अभ्यर्थियों के मामले में आरआरसी वेबसाइट अर्थात www.rrcnr.org पर उपलब्ध **अनुलग्नक** के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र।

